राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः प.7(199) परि/नियम/मु./2009/39656 जयपुर, दिनांकः 21/07/17

कार्यालय आदेश...../2017

विभाग द्वारा दिनांक 26.05.1999 को अधिसूचना जारी कर मोटर वाहन डीलर को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। यह देखा गया है कि विभिन्न परिवहन कार्यालयों मे अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य मे एक रूपता नहीं है। जहां ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर विक्रय किये गये वाहनो को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का समस्त कार्य कुछ परिवहन कार्यालयों द्वारा संपादित किया जा रहा है, वहीं कुछ परिवहन जिलों मे अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का आंशिक कार्य कार्यालय अथवा डीलरों द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में ऐसा देखा गया है कि डीलर/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जिन वाहनों को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, उनमें से कुछ वाहनों विशेषकर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों के वाहन स्वामियो द्वारा अपने वाहनों का पंजीयन नहीं करवाया जा रहा था, जिससे विभाग को राजस्व की हानि हो रही थी। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 4 के खण्ड (ग) के आखिरी परन्तुक को अधिसूचना संख्या एफ 6 (262)परि/कर/मु./07 दिनांक 23.01.2017 द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए, ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के तहत् गैर परिवहन यान के लिये वैध ट्रेड सर्टिफिकेट धारी हो, के लिये राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत वाहन के प्रथम विक्रय पर कर को वसूल किया जाना एवं जमा किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश कार्यालय आदेश संख्या 10/2017 दिनांक 06.04.2017 द्वारा जारी किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों की निरन्तरता में सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. परिवहन कार्यालय मे पदस्थापित/कार्यरत जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किसी भी गैर परिवहन श्रेणी के यान यथा दो पहिया यान, चार पहिया यान, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट

व्हीकल इत्यादि को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा। भविष्य में इन श्रेणी के वाहनों को आवश्यक रूप से अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित डीलर द्वारा ही जारी किया जावेगा, क्योंकि राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 4 में किये गये उक्त संशोधन के पश्चात ऐसे सभी ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर जिसके द्वारा वाहन का अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, के लिए ऐसे वाहन का एक बारीय कर वाहन विक्रय के साथ ही वसूला जाना अनिवार्य है।

2. राजस्थान राज्य के किसी परिवहन जिले हेतु अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही डीलर द्वारा वाहन स्वामी को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम,1989 में वाहनों के पंजीयन हेतु निर्धारित फॉर्म संख्या 20 भी भरकर देना आवश्यक होगा। डीलर द्वारा फॉर्म संख्या 20 में वाहन के स्वामी के स्थायी पते के अतिरिक्त शेष सभी सूचनाऐं अंकित करनी होगी। इस फॉर्म पर डीलर द्वारा वाहन के चैसिस एवं इंजन क्रमांक का सुस्पष्ट इम्प्रैशन लिया जाकर इसे इसके द्वारा सत्यापित कर इसे हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा हस्ताक्षर के नीचे अपनी मोहर जिसमें डीलर का नाम एवं ट्रेड सर्टिफिकेट संख्या मय वैधता अवधि के अंकित किया जायेगा। वहीं फॉर्म संख्या 20 पर वर्णित वाहन के इंस्पैक्शन के प्रारूप में यह रिपोर्ट देनी होगी कि उक्त वाहन मोटर वाहन अधिनियम,1988 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों की पालना करता है। अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वाहन स्वामी को संबंधित परिवहन कार्यालय में वाहन के पंजीयन के समय अपने वाहन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर वाहन स्वामी द्वारा अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के 7 दिवस में डीलर द्वारा जारी फॉर्म संख्या 20 संबंधित परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उक्त 7 दिवस की अवधि में किसी भी परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन को वाहन के पंजीयन के समय कार्यालय में नहीं मंगवाया जायेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसे वाहन का पंजीयन वाहन के कार्यालय में निरीक्षण के उपरान्त ही संबंधित पंजीयन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3. बिन्दु संख्या 2 में दी गई अवधि के पश्चात् पंजीयन आवेदन करने पर वाहन स्वामी को संबंधित पंजीयन अधिकारी के समक्ष वाहन प्रस्तुत करना होगा।

4. गैर परिवहन श्रेणी के 7 बैठक क्षमता तक के वाहनों का पंजीयन के संबंध में

   (a) 'वाहन 1.0' में किसी एक अधिकृत व्यक्ति (MVI/ MVSI) के नाम से जारी लॉगिन आईडी के द्वारा वाहन के इंजिन नंबर की प्रविष्ठि दर्ज की जाती है। अतः प्रत्येक परिवहन कार्यालय में MVI/MVSI के लॉगिन के अतिरिक्त एक 'Inspected by Dealer' नाम से लॉगिन आईडी कार्यालय के स्तर पर create किया जावे तथा जिन वाहनों का पूर्व में अस्थाई पंजीयन किया गया है उन वाहनों के

पंजीयन के समय इंस्पैक्शन का कार्य उक्त आईडी के द्वारा संपादित किया जावे।

(b) 'वाहन 4.0' में वर्तमान में यह प्रक्रिया संपादित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

5. गैर परिवहन श्रेणी के 7 से अधिक बैठक क्षमता के वाहनों का पंजीयन किये जाने के समय 'वाहन 1.0' एवं 'वाहन 4.0' में किसी अधिकृत व्यक्ति के नाम से जारी लॉगिन आईडी के द्वारा वाहन के फिटनेस इंस्पैक्शन से संबंधित सभी सूचनाएं दर्ज की जाती है। उक्त सूचनाऐं दर्ज किये जाने के समय "Inspected By" column में वाहन का इंस्पैक्शन करने वाले MVI/MVSI का नाम दर्ज किया जाना होता है। इस हेतु प्रत्येक परिवहन कार्यालय में MVI/MVSI के लॉगिन के अतिरिक्त एक 'Inspected by Dealer' नाम से लॉगिन आईडी स्वयं कार्यालय के स्तर पर create किया जावे तथा इस प्रकार के वाहनों के इंस्पैक्शन की सूचना दर्ज करते समय "Inspected By" column मे "Inspected by Dealer" दर्ज किया जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प.7(199) परि/नियम/मु./2009/3969-704 जयपुर, दिनांकः 21/07/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः--

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त/प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)